कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 99 /11–सी–FP/UP/Approach/46930/2020, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 06 ,2021

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– जनपद हाथरस के अन्तर्गत मथुरा–सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0–102) की दांयी पटरी पर किमी0 39 ग्राम नौगवॉ तहसील सादाबाद, जिला–हाथरस के गाटा सं0 3179 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरशन लि0, मथुरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 0.0590172 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Approach/46930/2020**

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/159/2020/एफ0सी0/1070, दिनांक–04.12.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक–2405/14–1 दिनांक 28.06.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नक सहित एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 99 /11–सी– **FP/UP/Approach/46930/2020**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
4– प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, मथुरा।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c